



## भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय

स्रोत: द हिंदू

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गुजरात के आणंद में [त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय](#) का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय है। यह पहल सरकार की 'सहकार से समृद्धि' (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) की दृष्टि के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाना है।

### त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (TSU)

- परिचय: त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (TSU) का नाम त्रिभुवनदास कशिभाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जो भारत के सहकारी इतिहास के एक प्रमुख व्यक्तित्व और अमूल के संस्थापक थे। उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ मिलकर वर्ष 1946 से गुजरात में सहकारी आंदोलन को दृढ़ता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- विश्वविद्यालय को [सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860](#) के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाना है, जिसके तहत सहकारी प्रबंधन, लेखांकन, वित्त, विपणन, सहकारी कानून और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में डिग्री, डिप्लोमा तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाएगी, ताकि एक प्रशिक्षित एवं कुशल कार्यबल तैयार किया जा सके।
  - इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 20 लाख से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित करना है, जिसमें डेयरी, मत्स्यपालन और कृषि ऋण सहकारी समितियाँ जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।
  - एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास (R&D) परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ग्रामीण सहकारी संस्थानों में श्रेष्ठ प्रथाओं को बढ़ावा देना होगा।

### भारत में सहकारी क्षेत्र:

- यह क्षेत्र ऐसे सदस्य-स्वामित्व वाले संगठनों को शामिल करता है, जो आपसी सहायता और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के माध्यम से सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मिलकर कार्य करते हैं। यह ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- [97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011](#) के तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन कर सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया।
- यह क्षेत्र मुख्य रूप से सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912 और बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002 द्वारा संचालित होता है।
  - MSCS (संशोधन) अधिनियम, 2023 का उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समितियों में सुशासन, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को मज़बूत करना है।

# भारत में विकासात्मक समूह

## स्वयं सहायता समूह (SHG)

- समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और रुचियों वाले लोगों का स्व-शासित सहकर्मी-नियंत्रित (Peer-Controlled) सूचना समूह
  - सदस्यों की अनुमति: 5-20 | पंजीकरण आवश्यक नहीं
  - SHG सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिये बचत राशि का उपयोग करते हैं
- नाबार्ड का SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992)- SHG को औपचारिक बैंकिंग संस्थाओं से जोड़ना
- भारत में ~ 88% SHG में सभी महिला सदस्य हैं
- सफलता की कहानियाँ:**
  - वर्ष 1972 से स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA)
  - केरल में कुडुम्बश्री (वर्ष 1998)

## सहकारी समितियाँ

- जन-केंद्रित उद्यम, जो अपने सदस्यों के स्वामित्व में उनके द्वारा नियंत्रित और उनके लिये संचालित होते हैं।
  - सदस्यों के साझा योगदान के माध्यम से एकत्रित की गई पूंजी।
- विनियमन अधिनियम:**
  - बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002
  - राज्य सहकारी समिति अधिनियम
- 97वाँ संविधान संशोधन (2011):**
  - सहकारी समितियाँ निर्माण करने का अधिकार - एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c))
  - अनुच्छेद 43B (DPSP) - सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
  - भाग IX-B जिसका शीर्षक है "सहकारी समितियाँ" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।
- उदाहरण:** अमूल, इफको और पैक्स

## गैर-सरकारी संगठन (NGO)

- पीड़ा को दूर करने, निर्धनों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण का संरक्षण करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने या सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ संचालित करना।
- पंजीकृत:**
  - सोसायटी:** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
  - ट्रस्ट:** भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882
  - कंपनियाँ:** धारा 8 कंपनी अधिनियम, 2013
- संवैधानिक प्रावधान:**
  - अनुच्छेद 19(1)(c)**- संघ बनाने का अधिकार
  - अनुच्छेद 43-** ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
  - समवर्ती सूची** में धर्मार्थ संस्थाओं का उल्लेख है

**FCRA विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक सभी गैर सरकारी संगठनों के लिये पंजीकरण अनिवार्य करता है।**

## प्रमुख NGO:

- NGO प्रथम:** ग्रामीण भारत में बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन करने के लिये ASER रिपोर्ट की अगुआई की।
- अक्षय पात्र फाउंडेशन:** स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया।

**NGO- दर्पण प्लेटफॉर्म - NGO और सरकारी निकायों के बीच एक इंटरफेस।**



और पढ़ें: [भारत का सहकारिता क्षेत्र](#)